

Sixteenth Loksabha

an>

Title: Papers laid on the Table by Ministers/Members

HON. SPEAKER: Now, Papers to be laid on the Table.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH) (SHRI SHRIPAD YESSO NAIK): Madam, I beg to lay on the Table:-

- (1)
 - (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Council of Indian Medicine, New Delhi, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Council of Indian Medicine, New Delhi, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8205/16/17]

- (2)
 - (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Council of Homoeopathy, New Delhi, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Council of Homoeopathy, New Delhi, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8206/16/17]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CULTURE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE (DR. MAHESH SHARMA): Madam, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Pollution Control Board, Delhi, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Pollution Control Board, Delhi, for the year 2015-2016.

Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(2)

[Placed in Library, See No. LT 8207/16/17]

- (3) A copy of Notification No. S.O.2836(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 31st August, 2017, making certain amendments in Notification No. S.O.1174(E) dated 18th July, 2007 issued under Sections 12 &13 of the Environment (Protection) Act, 1986.

[Placed in Library, See No. LT 8208/16/17]

- (4) A copy of the Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.1203(E) in Gazette of India dated 26th September, 2017 under Section 26 of the Environment (Protection) Act, 1986.

[Placed in Library, See No. LT 8209/16/17]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING (SHRI PON RADHAKRISHNAN): Madam, I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy of the 29th Progress Report (Hindi and English versions) on the Action Taken pursuant to the recommendations of the Joint Parliamentary Committee on Stock Market Scam and matters relating thereto, December, 2017.

[Placed in Library, See No. LT 8210/16/17]

- (2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Institute of Economic Growth, Delhi, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the

Government of the working of the Institute of Economic Growth, Delhi, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8211/16/17]

- (3) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Securities and Exchange Board of India, Mumbai, for the year 2016-2017, together with Audit Report thereon.

[Placed in Library, See No. LT 8212/16/17]

- (4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Madras School of Economics, Chennai, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Madras School of Economics, Chennai, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8213/16/17]

- (5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Institute for Social and Economic Change, Bangalore, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
- (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Institute for Social and Economic Change, Bangalore, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8214/16/17]

- (6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Centre for Development Economics (Delhi School of Economics-University of Delhi), Delhi, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
- (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Centre for Development Economics (Delhi School of Economics-University of Delhi), Delhi, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8215/16/17]

- (7)
- (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Institute for Studies in Industrial Development, New Delhi, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Institute for Studies in Industrial Development, New Delhi, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8216/16/17]

- (8)
- (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Council of Applied Economic Research, New Delhi, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Council of Applied Economic Research, New Delhi, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8217/16/17]

- (9)
- (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Centre for Policy Research, New Delhi, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Centre for Policy Research, New Delhi, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8218/16/17]

(10) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 48 of the Foreign Exchange Management Act, 1999:-

- (i) The Foreign Exchange Management (Foreign Exchange Derivative Contracts) (Second Amendment) Regulations, 2017 published in Notification No. G.S.R.1324(E) in Gazette of India dated 24th October, 2017.

- (ii) The Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Any Foreign Security) (Amendment) Regulations, 2017 published in Notification No. G.S.R.1386(E) in Gazette of India dated 14th November, 2017.
- (iii) The Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2017 published in Notification No. G.S.R.1374(E) in Gazette of India dated 7th November, 2017.

[Placed in Library, See No. LT 8219/16/17]

(11) A copy of the Statement (Hindi and English versions) on Quarterly Review of the trends in receipts and expenditure in relation to the budget at the end of the second quarter of the Financial year 2017-2018 and Statement explaining deviations in meeting the obligations of the Government under sub-section (1) of Section 7 of Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003.

[Placed in Library, See No. LT 8220/16/17]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ : -

- (1) (एक) इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथारिटी, हैदराबाद के वारेन 2016-2017 के वारिनिंग प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथारिटी, हैदराबाद के वारेन 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8221/16/17]

- (2) लाइफ इंश्योरेंस कार्पोरेशन आफ इंडिया , मुंबई के वारेन 2016-2017 की 47वें मूल्यांकन रिपोर्ट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8222/16/17]

(3) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58 की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक पेंशन (संशोधन) विनियम, 2017 जो 6 अक्टूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सीओ.एचआरएमडी सं. 6563/21/01/2017-18 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8223/16/17]

(4) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 50 की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक पेंशन निधि (संशोधन) विनियम, 2017 जो 4 अक्टूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. बीओडी एंड जीओ/विकेके/470 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8224/16/17]

(5) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 19 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) इलाहाबाद बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2017 जो 17 नवंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. एचओ/एडमिन/3एफ-49/1512 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) अधिसूचना सं. एफ.सं. एचओ/जीएम-सचि./पीए/डीसी/2017/1163 जो 30 नवंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा इलाहाबाद बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) विनियम, 1976 की अनुसूची में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[Placed in Library, See No. LT 8225/16/17]

(6) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 27 के अंतर्गत भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा अभिकर्ताओं तथा बीमा मध्यवर्तियों को कमीशन या पारिश्रमिक या पारितोषिक का संदाय) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2017 जो 23 अक्टूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. आईआरडीएआई/रेग./9/146/2017 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8226/16/17]

(7) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 की धारा 52 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (स्टाफ) (संशोधन) विनियम, 2017 जो 31 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ. सं. एचआरवीसं.एल00141487/ स्टाफ जनरल (2) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8227/16/17]

(8) धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 74 के अंतर्गत धन शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) 7वां संशोधन नियम, 2017 जो 12 दिसंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1506(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(9) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत आयकर (18वां संशोधन) नियम, 2017 जो 3 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 821(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(10) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-.

(एक) सा.का.नि. 994(अ) जो 8 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जुलाई और अगस्त माह के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 में जावक प्रदायों के ब्यौरे भरने के लिए समयावधि बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 995(अ) जो 8 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जुलाई और अगस्त माह के लिए प्ररूप जीएसटीआर-2 में आवक प्रदायों के ब्यौरे भरने के लिए समयावधि बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 996(अ) जो 8 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जुलाई और अगस्त माह के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3 में ब्यौरे भरने के लिए समयावधि बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 997(अ) जो 8 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जुलाई और अगस्त माह के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3खे भरने के लिए तारीख दर्शाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) केंद्रीय माल और सेवा कर (पांचवां संशोधन) नियम 2017 जो 17 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1023(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 1024(अ) जो 17 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जुलाई, 2017 माह के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3बी में विवरणी दायर करने के लिए तारीख और शर्तें अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 1039(अ) जो 21 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जुलाई, 2017 माह के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3बी में विवरणी दायर करने के लिए तारीख को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 1070(अ) जो 28 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जुलाई, माह के लिए प्ररूप जीएसटीआर-5ए में विवरणी दायर करने के लिए समयावधि को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 1071(अ) जो 28 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जुलाई और अगस्त महीनों के लिए प्ररूप जीएसटीआर-6 में विवरणी दायर करने के लिए समयावधि को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।

(दस) केंद्रीय माल और सेवा कर (6वां संशोधन) नियम 2017 जो 30 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1121(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक जापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 1126(अ) जो 1 सितंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जुलाई माह के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3बी में विवरणी दायर करने के लिए विलंब शुल्क को माफ करना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।

(बारह) सा.का.नि. 1129(अ) जो 5 सितंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जुलाई, 2017 और अगस्त, 2017 महीनों के लिए ब्यौरे प्रस्तुत करने/ विवरणी दायर करने के लिए निर्धारित तिथि को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।

(तेरह) सा.का.नि. 1144(अ) जो 11 सितम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जुलाई और अगस्त महीनों के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-2 और जीएसटीआर-3 में विवरणी दायर करने के लिए समयावधि को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।

(चौदह) सा.का.नि. 1145(अ) जो 11 सितंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जुलाई और अगस्त महीनों के लिए प्ररूप जीएसटीआर-6 में विवरणी दायर करने के लिए समयावधि को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।

(पंद्रह) सा.का.नि. 1158(अ) जो 15 सितंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय हस्तशिल्प सामानों की कर योग्य आपूर्ति करने वाले एक नैमेतिक कर योग्य व्यक्ति को पंजीकरण प्राप्त करने की जरूरत से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।

(सोलह) सा.का.नि. 1163(अ) जो 15 सितंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिन्होंने टीडीएस के लिए सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 51 को अधिसूचित किया तथा एक व्याख्यात्मक जापन।

(सत्रह) सा.का.नि. 1164(अ) जो 15 सितंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अगस्त, 2017 से दिसंबर, 2017 महीनों के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3बी में विवरणी दायर करने की अंतिम तारीख को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।

(अठारह) केंद्रीय माल और सेवा कर (7वां संशोधन) नियम 2017 जो 15 सितंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1165(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक जापन।

(उन्नीस) केंद्रीय माल और सेवा कर (8वां संशोधन) नियम 2017 जो 29 सितंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1214(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक जापन।

(बीस) सा.का.नि. 1218(अ) जो 4 अक्टूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो सभी निर्यातकों तक एल्यूटी सुविधा का विस्तार करने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।

(इक्कीस) केंद्रीय माल और सेवा कर (9वां संशोधन) नियम 2017 जो 13 अक्टूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1251(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाइस) सा.का.नि. 1252(अ) जो 13 अक्टूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो दिनांक 15 सितंबर, 2017 को प्रकाशित अधिसूचना सं. 32/2017-केंद्रीय कर में कतिपय संशोधन करने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेइस) सा.का.नि. 1253(अ) जो 13 अक्टूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय राज्य कर अधिकारियों को प्रतिपूर्ति का प्रक्रमण और प्रदाय करने का अधिकार देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) सा.का.नि. 1254(अ) जो 13 अक्टूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1.5 करोड़ रुपये से कम कुल टर्न ओवर वाले पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा इनोविस जारी करने पर कर का भुगतान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पच्चीस) सा.का.नि. 1255(अ) जो 13 अक्टूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्ररूप जीएसटीआर-4 में विवरणी दायर करने के लिए समयावधि को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छब्बीस) सा.का.नि. 1256(अ) जो 13 अक्टूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्ररूप जीएसटीआर-5ए में विवरणी दायर करने के लिए समयावधि को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्ताइस) सा.का.नि. 1257(अ) जो 13 अक्टूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्ररूप जीएसटीआर-6 में विवरणी दायर करने के लिए समयावधि को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अट्ठाइस) सा.का.नि. 1258(अ) जो 13 अक्टूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्ररूप जीएसटीआईटीसी-01 में विवरणी जमा करने के लिए समयावधि को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उनतीस) केंद्रीय माल और सेवा कर (10वां संशोधन) नियम 2017 जो 18 अक्टूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1304(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीस) सा.का.नि. 1305(अ) जो 18 अक्टूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 147 के अंतर्गत कतिपय आपूर्तियों को मानित निर्यातों के रूप में अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इकतीस) सा.का.नि. 1306(अ) जो 18 अक्टूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 89(2) (छ) के अंतर्गत प्रतिपूर्ति का दावा करने के लिए मानित निर्यात आपूर्तियों के आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आवश्यक सबूतों को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बत्तीस) सा.का.नि. 1326(अ) जो 24 अक्टूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अगस्त, और सितंबर, 2017 महीनों के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3बी में विलंब से विवरणी दायर करने पर देय विलंब शुल्क को माफ करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तैंतीस) केंद्रीय माल और सेवा कर (10वां संशोधन) नियम 2017 जो 28 अक्टूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1344(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौत्तीस) सा.का.नि. 1345(अ) जो 28 अक्टूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्ररूप जीएसटीआईटीसी-01 में विवरणी जमा करने की निर्धारित तारीख को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पैंतीस) सा.का.नि. 1346(अ) जो 28 अक्टूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्ररूप जीएसटीआईटीसी-04 में विवरणी जमा करने की निर्धारित तारीख को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छत्तीस) सा.का.नि. 1352(अ) जो 30 अक्टूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो दिनांक 11 सितंबर, 2017 को प्रकाशित अधिसूचना सं. 30/2017-केंद्रीय कर में कतिपय संशोधन करने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सैंतीसवां) केंद्रीय माल और सेवा कर (12वां संशोधन) नियम 2017 जो 15 नवंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1411(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अड़तीस) सा.का.नि. 1412(अ) जो 15 नवंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मार्च, 2018 तक प्ररूप जीएसटीआईआर-3बी में विवरणी जमा करने का आदेश देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उनतालीस) सा.का.नि. 1413(अ) जो 15 नवंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1.5 करोड़ रुपये से कम कुल टर्न ओवर वाले करदाताओं के लिए तिमाही आधार पर प्ररूप जीएसटीआर-1 जमा करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चालीस) सा.का.नि. 1414(अ) जो 15 नवंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1.5 करोड़ रुपये से कम कुल टर्न ओवर वाले करदाताओं के लिए प्ररूप जीएसटीआर-01 में विवरणी दायर करने की निर्धारित तिथि को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इकतालीस) सा.का.नि. 1415(अ) जो 15 नवंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्ररूप जीएसटीआर-04 में विवरणी जमा करने के लिए समयावधि को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बयालीस) सा.का.नि. 1416(अ) जो 15 नवंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जुलाई से अक्टूबर, 2017 माहों के लिए प्ररूप जीएसटीआर-5 में विवरणी जमा करने के लिए समयावधि को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तैंतालीस) सा.का.नि. 1417(अ) जो 15 नवंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जुलाई से अक्टूबर, 2017 माहों के लिए प्ररूप जीएसटीआर-5ए में विवरणी जमा करने के लिए

समयावधि को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौवालीस) सा.का.नि. 1418(अ) जो 15 नवंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जुलाई से अक्टूबर, 2017 माहों के लिए प्ररूप जीएसटीआर-6 में विवरणी जमा करने के लिए समयावधि को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पैंतालीस) सा.का.नि. 1419(अ) जो 15 नवंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्ररूप जीएसटीआरआईटीसी-04 में विवरणी जमा करने की निर्धारित तिथि बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छियालीस) सा.का.नि. 1420(अ) जो 15 नवंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अक्टूबर, 2017 से प्ररूप जीएसटीआर-3बी में विलंब से विवरणी जमा करने पर देय न्यूनतम विलंब शुल्क को सीमित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सैंतालीस) सा.का.नि. 1421(अ) जो 15 नवंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ई-कामर्स प्लेटफार्म से सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं को अनिवार्य पंजीकरण प्राप्त करने से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अड़तालीस) सा.का.नि. 1422(अ) जो 15 नवंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वस्तुओं की आपूर्ति के मामले में अग्रिम प्राप्त करने वाले सभी कर दाताओं को कर भुगतान से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उनचास) सा.का.नि. 1262(अ) जो 13 अक्टूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 9(4) के अंतर्गत 31.03.2017 तक कर भुगतान से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 8230/16/17]

(11) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-.

(एक) सा.का.नि. 1155(अ) जो 14 सितंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को सेवाओं का अंतर्राज्यीय प्रदाय करने वाले जाब वर्क्स को रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने की अपेक्षा से छूट प्रदान की है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 1156(अ) जो 14 सितंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा हथकरघा सामग्रियों के अंतर्राज्यीय करादेय प्रदाय करने वाले व्यक्ति को रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने की अपेक्षा से छूट प्रदान की है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 1259(अ) जो 13 अक्टूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 14 सितंबर, 2017 की अधिसूचना सं. 8/2017-एकीकृत कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 1260(अ) जो 13 अक्टूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय करादेय सेवाओं के अंतर्राज्यीय प्रदाय करने वाले व्यक्तियों को रजिस्ट्रीकरण से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 1261(अ) जो 13 अक्टूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रसंस्करण तथा रिफंड प्रदान करने के लिए राज्य कर अधिकारियों को क्रास-एंपावर करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) एकीकृत माल और सेवा कर संशोधन नियम, 2017 जो 15 नवंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1424(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 1263(अ) जो 13 अक्टूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 5(4) के अंतर्गत 31.03.2018 तक कर के संदाय से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 8231/16/17]

(12) संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1264(अ) जो 13 अक्टूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिनका आशय आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 7(4) के अंतर्गत 31.03.2018 तक कर के संदाय से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 8232/16/17]

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGAT PRAKASH NADDA): Madam, on behalf of Shri Ashwini Kumar Choubey, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Medical Council of India, New Delhi, for the year 2016-2017.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Medical Council of India, New Delhi, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8233/16/17]

- (2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Pharmacy Council of India, New Delhi, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the

Government of the working of the Pharmacy Council of India, New Delhi, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8234/16/17]

- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education and Research, Puducherry, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education and Research, Puducherry, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8235/16/17]

(4) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (4) of Section 20 of the Dentists Act, 1948:-

- (i) The “Dental Council of India (Establishment of New Opening of New Dental College, Opening of New or Higher Course of Study or Training and Increase of Admission Capacity in Dental Colleges) (9th Amendment) Regulations, 2017 published in Notification No. DE-22-2017 in Gazette of India dated 5th July, 2017.
- (ii) The “Dental Council of India (Establishment of New Opening of New Dental College, Opening of New or Higher Course of Study or Training and Increase of Admission Capacity in Dental Colleges) (11th Amendment) Regulations, 2017 published in Notification No. DE-22-2017 in Gazette of India dated 5th July, 2017.
- (iii) The Dental Council of India, Master of Dental Surgery Course Regulations, 2017 published in Notification No. DE-87-2017 in Gazette of India dated 5th September, 2017.
- (iv) The Revised BDS Course (8th Amendment) Regulations, 2017 published in Notification No. DE-87(1)(8)-2017 in Gazette of India dated 27th July, 2017.

[Placed in Library, See No. LT 8236/16/17]

- (5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Academy of Medical Sciences (India), New Delhi, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Academy of Medical Sciences (India), New Delhi, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8237/16/17]

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGAT PRAKASH NADDA): Madam, on behalf of Shrimati Anupriya Patel, I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Jansankhya Sthirata Kosh, New Delhi, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

[Placed in Library, See No. LT 8238/16/17]

- (2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Population Research Centre (Maharaja Sayajirao University of Baroda), Shimla, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Population Research Centre (Maharaja Sayajirao University of Baroda), Shimla, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 8239/16/17]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI P.P. CHAUDHARY): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (4) of Section 469 of the Companies Act, 2013:-

- (i) The Companies (Filing of Documents and Forms in Extensible Business Reporting Language) Amendment Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.1372(E) in Gazette of India dated 7th November, 2017.
- (ii) The Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Second Amendment Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.1267(E) in Gazette of India dated 13th October, 2017.
- (iii) The Companies (Incorporation) Second Amendment Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.955(E) in Gazette of India dated 27th July, 2017.
- (iv) The National Company Law Appellate Tribunal (Amendment) Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.1061(E) in Gazette of India dated 24th August, 2017.
- (v) The Companies (Arrests in connection with Investigation by Serious Fraud Investigation Office) Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.1062(E) in Gazette of India dated 24th August, 2017.
- (vi) The Companies (Acceptance of Deposits) Second Amendment Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.1172(E) in Gazette of India dated 20th September, 2017.
- (vii) The Companies (Restriction on number of layers) Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.1176(E) in Gazette of India dated 21th September, 2017.
- (viii) The Companies (Registered Valuers and Valuation) Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.1316(E) in Gazette of India dated 18th October, 2017.
- (ix) The Companies (Accounts) Amendment Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.1371(E) in Gazette of India dated 7th November, 2017.
- (x) The Companies (Filing of Documents and Forms in Extensible Business Reporting Language) Second Amendment Rules, 2017 published in

Notification No. G.S.R.1480(E) in Gazette of India dated 4th December, 2017.

(xi) The Companies (cost records and audit) Amendment Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.1498(E) in Gazette of India dated 8th December, 2017.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at item No. (iii) of (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 8240/16/17]

(3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (2) of Section 458 of the Companies Act, 2013:-

- (i) S.O.2938(E) published in Gazette of India dated 6th September, 2017, regarding delegation of powers to Regional Directors, mentioned therein.
- (ii) S.O.3401(E) published in Gazette of India dated 23th October, 2017, regarding delegation of powers under Section 247 of Companies Act, 2013 to Insolvency and Bankruptcy Board of India.

[Placed in Library, See No. LT 8241/16/17]

(4) A copy of the Companies (Removal of Difficulties) Second Order, 2017 (Hindi and English versions) published in Notification No. S.O.3400(E) published in Gazette of India dated 23th October, 2017 under sub-section (2) of Section 470 of the Companies Act, 2013.

[Placed in Library, See No. LT 8242/16/17]
